राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2047/2025

मंजू मीणा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक (अराजपत्रित) एवं अति0 निदेशक (प्रशासन), पंचायतीराज (चिकित्सा) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुन्झुनू।
4. प्रभारी अधिकारी, उप स्वास्थ्य केन्द्र खेतडी ग्रामीण, खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 17.02.2025
आदेश की दिनांक : 11.03.2025
उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री जे.आर. चौधरी, अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी वर्तमान में एएनएम के पद पर उप स्वास्थ्य केन्द्र खेतड़ी ग्रामीण, खेतड़ी जिला झुन्झुनूं में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से सीएचसी खुहडी ब्लॉक सम जैसलमेर 600 कि.मी दूर किया गया है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण अन्य कार्मिक सरिता यादव नर्सिंग ऑफिसर के पद पर किया गया है, जबकि अपीलार्थी एएनएम के पद पर कार्यरत है एवं अन्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–5) द्वारा सरिता यादव का स्थानान्तरण उप स्वास्थ्य केन्द्र खेतडी ग्रामीण खेतड़ी के स्थान पर सीएचसी महाडा जाटूवास, खेतड़ी जिला झुन्झुनूं किया गया है। दिनांक 15.01.2025 को जारी दोनों आदेशों में ही सरिता यादव का पद एएनएम बताते हुए उक्त स्थानान्तरण आदेश जारी किए गए। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 23.01.2025 (अनुलग्नक–6) द्वारा शुद्धिकरण आदेश जारी किया गया, जिसमें सरिता यादव का पदनाम एएनएम के स्थान पर नर्सिंग ऑफिसर पढा जाने का उल्लेख किया गया। अपीलार्थी का कथन है कि उप स्वास्थ्य केन्द्र खेतडी में नर्सिंग ऑफिसर का कोई पद रिक्त नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय ने डॉ. अजय कुमार शर्मा बनाम राजस्थान राज्य में पारित आदेश में किसी कार्मिक का समंजित करने के आशय से जारी किये

गये स्थानान्तरण आदेश को अनुचित एवं अवैध माना है। अपीलार्थी का पुत्र 6 वर्ष का है, जो कक्षा दो में निवास स्थान के पास ही पढ रहा है और उसकी देख–रेख करने वाला अपीलार्थी के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। अपीलार्थी के पुत्र की कक्षा प्रथम की अंक तालिका अनुलग्नक–8 पर उपलब्ध है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 को अपास्त किया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे कि अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान पर कार्य करने दिया जावे।

हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा आलौच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 के विरूद्ध अनुतोष चाहा है, जिसके द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण उप स्वास्थ्य केन्द्र खेतड़ी ग्रामीण, खेतड़ी जिला झुन्झुनूं से सीएचसी खुहडी ब्लॉक सम जैसलमेर किया गया है। जहां तक अपीलार्थी के स्थान पर अन्य कार्मिक को समंजित करने का प्रश्न है अपीलार्थी ने अपील में किसी निजी व्यक्ति को पक्षकार नहीं बनाया है जिस सरिता यादव का अपील में उल्लेख किया है वह नर्सिंग ऑफिसर है एवं उसे अन्य आदेश दिनांक 15.01.2025 द्वारा सीएचसी महाड़ा जाटूवास खेतड़ी में पदस्थापित किया जा चुका है। अतः प्रकरण के तथ्यों से यह निष्कर्ष नहीं निकलता है अन्य कार्मिक को अनुचित फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से उसको अपीलार्थी के स्थान पर पदस्थापित किया गया है। सरिता यादव का एक अन्य आदेश दिनांक 15.01.2025 द्वारा सीएचसी महाडा जाटूवास खेतड़ी, झुन्झुनूं किया जा चुका है एवं आदेश दिनांक 23.01.2025 द्वारा सरिता यादव का पदनाम में शुद्धिकरण किया जाकर नर्सिंग ऑफिसर किया जा चुका है। अपीलार्थी यह स्पष्ट करने में असमर्थ रहा है कि जहां उसका सीएचसी खुहड़ी ब्लॉक सम में पदस्थापन किया है वहां एएनएम का पद रिक्त नहीं है। यह नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि वह अपने कार्मिक की सेवाएं कब और कहां लेवे। अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपनी पारिवारिक परिस्थितियों को लेकर अभ्यावेदन देने के लिए सदैव स्वतंत्र है।

आलौच्य आदेश में कोई दुर्भावना निहित होना या नियम विरूद्धता होना नहीं पाये जाने के कारण अपील अपीलार्थी इसी प्रक्रम पर मय स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य